HANS SHODH SUDHA. Vol. 1, Issue 3, (2021), pp. 76-78

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की ओर

डॉ. वेदप्रकाश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष है, जिसके अनेक महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। यह शिक्षा नीति अपने स्वरूप और अपनी प्रक्रिया में ऐतिहासिक कही जा सकती है। भारतवर्ष की आवश्यकताओं, आकांक्षा एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के साथ सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की ओर बढ़ना भी है। ध्यातव्य है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। अंग्रेजी के मोह में एवं समुचित व्यवस्थाएँ न होने के कारण भारतीय भाषाएँ उपेक्षित हुई हैं, निरंतर कमजोर हुई हैं और यह कहना भी सर्वथा अनुचित नहीं होगा कि कई भाषाएँ समाप्त ही हो गई। विडंबना यह रही कि शासन-प्रशासन अथवा सरकारों की ओर से इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं हुए। इस विविधतापूर्ण देश का सामान्य व्यक्ति मुख्यधारा से कोसों दूर रहा। भाषा जोड़ती है, ज्ञान-विज्ञान को यदि मातृभाषा के माध्यम से प्रसारित किया जाता अथवा किया जाए तो वह अधिक कारगर एवं प्रभावी रूप में परिणत होगा। भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का साधन मात्र ही नहीं है अपितु यह विचार, संस्कार और आधार प्रदान करने वाली महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भाषा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह महत्त्वपूर्ण पहलू है जो उस व्यक्ति को पहचान देता है। भाषा ही व्यक्ति को विभिन्न पटलों पर विचार अभिव्यक्ति हेतु सक्षम बनाती है। भाषिक ज्ञान के साथ ही शिक्षा भी व्यक्ति के निर्माण के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण आयामों संस्कार, विचार, व्यवहार आदि का विकास करती है, विकृतियों से मुक्त करती है, अज्ञानता को दूर करती है। यह शिक्षा ही है जो व्यक्ति को निहित स्वार्थों से मुक्त कर परमार्थ के द्वार खोलती है और विभिन्न परिस्थितियों में उसे सामंजस्य सिखाती है। यदि सार रूप में कहा जाए तो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति दायित्वबोध जगाने का काम शिक्षा ही करती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था–''शिक्षा केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, न ही यह नागरिकों को शिक्षित करने का अभिकरण है, न ही यह प्रारंभिक विचार है। यह जीवन में आत्मा का आरंभ है, सत्य तथा कर्तव्य पालन हेतु मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है जिसे ''दिव्यात्म जन्म'' कहा जा सकता है।'' गांधी जी ने भी कहा था–''सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास हेतु प्रेरित करती है।''[1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने हैं, जिसमें विभिन्न बदलावों एवं आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय दृष्टि की प्रधानता और भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। यह शिक्षा नीति इस रूप में भी महत्त्वपूर्ण है कि पहली बार न केवल भारत अपितु विश्व इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते हुए लोकतांत्रिक आधार को ग्रहण किया गया। गाँव-गाँव, नगर-नगर शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक एवं जन सामान्य आदि सभी के सुझाव और विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लाखों लोगों की भागीदारी से बनी यह शिक्षा नीति अपनी प्रक्रिया में दो-तीन वर्ष चली, किंतु समुद्र मंथन के समान अमृत रूप में सामने आई है। इसमें बालक अथवा शिक्षार्थी को संसाधन न मानकर एक समग्र व्यक्ति के रूप में विकसित करने की संकल्पना निहित है। इस शिक्षा नीति के विजन में कहा गया है कि–''इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए योगदान करेगी।''[2] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह शिक्षा नीति शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि, छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करने वाली है। नीति का विजन स्पष्ट करता है कि–''छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। जो मानवाधिकारों,

स्थाई विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।''[3] शिक्षा नीति की इस भावना को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था–''हमारे छात्र ग्लोबल सिटीजन तो बने, साथ-साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से ले करके जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है।''[4] स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जड़ों से जोड़ने वाली होगी और जड़ों से जोड़कर छात्र को ग्लोबल सिटीजन के रूप में भी स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण अथवा कारगर सिद्ध होगी।

पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 में और दूसरी वर्ष 1986 में आई थी, जिनमें कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान दिखाई देते हैं किंतु व्यावहारिक स्तर पर वह अपूर्ण ही रहे। भारतीय भाषाओं के प्रश्न पूर्व की शिक्षा नीतियों में प्रायः उपेक्षित ही दिखाई देते हैं। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा नीतियों में मैकाले की शिक्षा नीतियों और भारत विरोधी शिक्षा दृष्टि को बनाए रखा गया। कहीं न कहीं अंग्रेजी के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। जब भी भारतीय भाषाओं अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की चर्चा की गई तो एक सुनियोजित विरोध का वातावरण कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और राजनीति के लोगों के द्वारा बनाया जाता रहा है। क्या भारतीय भाषाओं की संकल्पना के बिना भारत की संकल्पना करना समुचित होगा? हिंदी और भारतीय भाषाओं में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध व्यवहार के स्तर पर अथवा आपसी सामंजस्य के स्तर पर नहीं है। राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिंदी सदैव प्रायोजित विरोध का सामना करती रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं की विराट संकल्पना के साथ प्रस्तुत हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और यदि संभव है तो उच्च शिक्षण में भी मातृभाषा के प्रयोग, प्रोत्साहन की संकल्पना निश्चित रूप से सराहनीय और ऐतिहासिक प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को महत्त्व दिया गया है। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि–''कम-से-कम कक्षा पाँच तक और बेहतर यह होगा कि कक्षा आठ और उससे आगे तक भी यदि हो सके तो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।''[5] इसके साथ साथ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं अथवा मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न शोध और अनुसंधानों से यह स्पष्ट है कि बालक अपनी आरंभिक अवस्था यानी दो से आठ, दस वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषिक ज्ञान में दक्षता प्राप्त करते हैं। उनका मानसिक विकास इस आयु में सर्वाधिक होता है। इस अवस्था में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और उनकी समझ उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली सिद्ध हो सकती है। गांधी जी ने कहा था–''मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियाँ क्यों न हो, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह अपनी मां की छाती से। वही मुझे जीवनदाई दूध दे सकती है... रूस ने बिना अंग्रेजी के विज्ञान में इतनी उन्नति की है। आज अपनी मानसिक गुलामी की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। मैं इस चीज को नहीं मानता।''[6] राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण की दिशा में खुलापन लेकर सामने आई है। भारतीय चिंतन, दर्शन, अध्यात्म और ज्ञान-विज्ञान सदियों से विश्व को प्रभावित करता रहा है। गुरुकुल शिक्षण प्रणाली विश्व के लिए कौतूहल का विषय रही है, किंतु धीरे-धीरे ज्ञानार्जन का विषय बाजार और व्यवसाय पर केंद्रित होने लगा, विद्यालयों-महाविद्यालयों के रूप में भव्य भवनों के निर्माण हुए और भारतीय भाषाओं का शिक्षण अथवा भारतीय भाषाओं में शिक्षण कम होता चला गया। हिंदी में बोलना अथवा अभिव्यक्ति प्रतिबंध जैसा हो गया, दंड के विधान तक स्थितियाँ पहुँच गई। शिक्षा नीतियाँ मानव संसाधन पर केंद्रित होती चली गई। समग्र मानव की संकल्पना कहीं पीछे ही छूट गई। अधूरा ज्ञान अथवा विषय विशेष तक ही ज्ञान सीमित होता चला गया। क्षेत्रीय भाषाओं अथवा संस्कृति का लोप युवा वर्ग में दिखाई देने लगा। भारतवर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति शास्त्रीय भाषाओं के महत्त्व को भी संबोधित करती है। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ इतने विशाल रूप में है यदि उसका अवगाहन किया जाए तो एक बड़े ज्ञान का भंडार हमारे सामने उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार भारतवर्ष की अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और उड़िया आदि में भी समृद्ध ज्ञान परंपरा विद्यमान है। पूर्व की सरकारी नीतियों और पाठ्यक्रम की संरचनाओं में इस प्रकार के प्रावधान अथवा अभाव रहे जिसके चलते ज्ञान का यह विपुल भंडार उपेक्षित होता गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी, कोरियाई, जापानी, थाई, जर्मन, स्पेनिश पुर्तगाली, रूसी आदि भाषाओं के शिक्षण-अध्ययन के भी प्रावधान हैं ताकि विद्यार्थी अंग्रेजी ही नहीं अपितु अन्य वैश्विक भाषाओं और संस्कृतियों के बारे में भी जानें और अपनी रुचि और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान का विस्तार करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीय विचारणीय मुद्दों

की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण यह भी है कि भाषा का संबंध सीधे कला और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। हमारी संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, संगीत और कलाएँ उसे भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करती हैं। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि उस संस्कृति से जुड़ी हुई महत्त्वपूर्ण भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन भी किया जाए। आज विडंबना यह है कि भारतवर्ष की विभिन्न महत्त्वपूर्ण भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्रायः घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषाओं के संरक्षण, शिक्षण और संवर्धन की दिशाएँ खोलने वाली है वहीं लुप्त प्रायः अथवा संरक्षित भाषाओं को भी महत्त्व देने वाली है। इस शिक्षा नीति में भारतवर्ष की महत्त्वपूर्ण भाषाओं को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से संरक्षित करने का, उनकी पांडुलिपियों को प्रकाशित करने का, उनके संरक्षण का, इन भाषाओं के बोलने वाले समाजों के साथ तालमेल बनाते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की संकल्पना विद्यमान है। भारतीय भाषाओं की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा पक्ष यह भी कहा जा सकता है कि इसमें तकनीकी और डिजिटल माध्यमों के साथ जोड़कर भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर तो समन्वयात्मक बनाया ही जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके प्रोत्साहन के प्रयास किए जाएँगे। भारतीय भाषाएँ और भारतवर्ष की शास्त्रीय भाषाएँ इन सभी में आपसी तालमेल है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को विशेष आदर, सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के प्रावधान किए गए हैं। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक नीति सिद्ध होगी, इससे भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय भाषाएँ सशक्त होंगी तो सही मायनों में नया भारत-सशक्त भारत बनेगा। भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही भारतवर्ष की सांस्कृतिक विविधता के अनेक आयाम जन-जन तक पहुँचेंगे। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का आधार भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही संभव है।

संदर्भ :

1. मेरे सपनों का भारत, पृष्ठ 196
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 8
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 8
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री का संबोधन।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पृष्ठ 19
6. हरिजन सेवक, 25 अगस्त 1946

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
9818194438
ved0550@gmail.com